सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बकाया अंतर शाखा प्रविष्टियां

2220. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अंतर शाखा बकाया प्रविष्टियां छः माह की अवधि के भीतर नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार बैंकवार बकाया प्रविष्टियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार छः माह के भीतर अंतरशाखा बकाया प्रविष्टियों के समायोजन के लिए क्या प्रयास कर रही है और इस संबंध में निगरानी कार्य की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अन्तर शाखा समाधान खातों में समाधान न की गई प्रविष्टियों के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

(I) शाखाओं के स्तर पर दैनिक शाखा विवरणों के संकलन में देरी/कमियां जो अंतर शाखा समाधान का मूल निवेश्य हैं;

(II) पंचिंग में खामियां

(III) प्रधान कार्यालय में अंतर-शाखा समाधान कार्य का अत्यधिक केन्द्रीकरण; और

(IV) पुराने रिकार्डों का उपलब्ध न होना।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.1.1995 की स्थिति के अनुसार बकाया प्रविष्टियों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 1993 तक की अवधि से संबंधित प्रविष्टियों को कवर करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर शाखा समाधान खातों में 65.55 लाख प्रविष्टियां बकाया थी।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं: उच्च मूल्य वाली प्रविष्टियों को अलग किये जाने को प्राथमिकता देना, विशेषकक्ष/कृतिक बल की स्थापना करना, समय सीमा का विनिर्देशन इत्यादि। बैंकों को यह सलाह दी गई है कि उनके निदेशक मंडल को छमाही में या थोड़े अंतरालों में, यदि आवश्यक हो, अंतर-शाखा समाधान में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार

2221. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विकास संघ ने हाल ही में भारत को आर्थिक सुधार की धीमी रफ्तार के संबंध में चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये हैं?

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी, नहीं। शिष्टमंडलों ने संरचनात्मक सुधारों के व्यापक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उल्लेखनीय सफलता का मूल्यांकन किया और भविष्य में तीव्र अभिवृद्धि के लिए अच्छे-लक्षणों सहित, 4.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र अभिवृद्धि प्राप्त की। तथापि, यह नोट किया गया कि आगे के लिए कार्यसूची अत्यधिक आवश्यक है।

(ग) और (घ) भारतीय शिष्टमंडल ने संकेत दिया कि सरकार राजकोषीय समायोजन और सुधार कार्यक्रम में निरन्तर उन्नति करने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। आर्थिक सहायताओं को विवेकपूर्ण स्तर पर रखा गया और राजकोषीय विधाक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कर व्यवस्था में अतिरिक्त सुधार इस आशय के प्रमाण थे।

किसानों की वित्तीय आवश्यकताएं

2222. **श्री आस मोहम्मद:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र की पूर्ण संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है ताकि वे प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन पाने के लिए पूंजी निवेशों का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये है?